BROADCASTING OVERVIEW THROUGH A TELECOM LENS

The Telecommunications Act, 2023, introduces a new regulatory framework for broadcasting services, aiming to modernize oversight, enhance compliance, and ensure fair competition. This article explores key recommendations for effectively regulating broadcasting under the Act, addressing industry challenges, content standards, and technological advancements.

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) recommends that the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) transition from licensing under the Indian Telegraph Act, 1885, to service authorizations under Section 3(1)(a) of the Telecommunications Act, 2023, for broadcasting services.The terms and conditions for these authorizations should be defined in Rules under Section 56 of the Telecommunications Act, 2023, which authorized entities must adhere to.MIB should issue Orders, Directions, Advisories, and Instructions in accordance with these Rules.

TRAI'S ROLE AND FINANCIAL DISINCENTIVES:

- For changes to authorization terms (excluding those affecting state security), MIB should seek TRAI's recommendations under Section 11(1)(a) of the TRAI Act, 1997.
- Authorized entities must comply with TRAI's Regulations, Orders, and Directions.
- TRAI can impose Financial Disincentives (FD) for violations. If an entity defaults on FD payments, MIB should recover the amount from the entity's Bank Guarantee/Security Deposit, as advised by TRAI. TRAI's FD decisions are final, subject to appeal under the TRAI Act, 1997.

दूरसंचार के नजरिए से प्रसारण का अवलोकन

दूरसंचार अधिनियम 2023, प्रसारण सेवाओं के लिए एक नया विनियामक ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य निगरानी को आधुनिक बनाना, अनुपालन और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना है। यह लेख अधिनियम के तहत प्रसारण को प्रभावी ढंग से विनियमित करने, उद्योग चुनौतियों, सामग्री मानकों व तकनीकी प्रगति को संबोधित करने के लिए प्रमुख सिफारिशों का पता लगाता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सिफारिश की है कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय (आईएंडबी) प्रसारण सेवाओं के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम **1885** के तहत लाइसेंसिंग से दूरसंचार अधिनियम, **2023** की धारा **3**(**1**)(ए) के तहत सेवा प्राधिकरणों में बदलाव करे। इन प्राधिकरणों के लिए नियम और शर्तें दूरसंचार अधिनियम **2023** की धारा **56** कए तहत नियमों में परिभाषित की जानी चाहिए, जिनका अधिकृत संस्थाओं को पालन करना चाहिए। एमआई बी को इन नियमों के अनुसार आदेश, निर्देश, सलाह और निर्देश जारी करने चाहिए।

ट्राई की भूमिका और वित्तीय हतोत्साहन

- प्राधिकरण शर्तों में परिवर्तन (राज्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले को छोड़कर) के लिए एमआईबी को ट्राई अधिनियम, **1997** की धारा **11** (**1**)(ए) के तहत ट्राई की सिफारिशें लेनी चाहिए।
- अधिकृत संस्थाओं को ट्राई के विनियमों, आदेशों और निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- ट्राई उल्लंघन के लिए वित्तीय हतोत्साहन (एफडी) लगा सकता है। यदि कोई संस्था एफडी भुगतान में चूक करती है, तो एमआई बी को ट्राई की सलाह के अनुसार संस्था की बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा से राशि वसूल करनी चाहिए। ट्राई के एफडी निर्णय अंतिम हैं जो ट्राई अधिनियम, **1997** के तहत अपील के अधीन हैं।

STRUCTURE OF BROADCASTING SERVICE RULES:

- The Rules under Section 56 of the Telecommunications Act, 2023, should be structured as:
- "The Broadcasting (Grant of Service Authorisations) Rules" (covering authorization terms).
- "The Broadcasting (Television Channel Broadcasting, Television Channel Distribution, and Radio Broadcasting) Services Rules" (covering service-specific terms).

AUTHORIZATION DOCUMENT FORMAT:

- Service authorizations should be issued as authorization documents, with a recommended format provided in Schedule-V of Annexure-II.

ORGANIZATION OF BROADCASTING SERVICES RULES:

- The service-specific Rules should include:
  - Common Terms and Conditions.
  - Specific Terms and Conditions for:

प्रसारण सेवा नियमों की संरचना

- **दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 56 के तहत** नियमों की संरचना इस प्रकार होनी चाहिएः
  - प्रसारण (सेवा प्राधिकरण प्रदान करना) नियम (प्राधिकरण शर्तों को शामिल करते हुए)
  - प्रसारण (टेलीविजन चैनल प्रसारण, टेलीविजन चैनल वितरण और रेडियो प्रसारण) सेवा नियम (सेवा विशिष्ट शर्तों को शामिल करते हुए)

प्राधिकरण दस्तावेज प्रारूप

- सेवा प्राधिकरणों को प्राधिकरण दस्तावेजों के रूप में जारी किया जाना चाहिए, जिसका अनुशंसित प्रारूप अनुलग्नक– II की अनुसूची–V में दिया गया है।

प्रसारण सेवाओं के संगठन के नियमः

- सेवा विशिष्ट नियमों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिएः
  - सामान्य नियम और शर्तें
  - इसके लिए विशिष्ट नियम और शर्तें ः

- Television Channel Broadcasting Services (including news agencies, teleports, and uplinking).
- Television Channel Distribution Services (DTH, HITS, IPTV).
- Radio Broadcasting Services (terrestrial, community, low-power).

- IPTV services do not require a seperate authorization, and MSO's registered under the Cable Television Act can provide IPTV with a self declaration.

MSO AND LCO REGULATION

- MIB may consider bringing Multi-System Operators (MSOs) and Local Cable Operators (LCOs) under the Telecommunications Act, 2023, while retaining content regulation under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

FAST CHANNELS DISTRIBUTION

- A separate authorization for FAST channel distribution may be considered under Television Channel Distribution Services.

TRAI RECOMMENDATIONS ON EASE OF DOING BUSINESS:

- MIB should expedite decisions on TRAI's "Ease of Doing Business in Telecom and Broadcasting Sector" recommendations.

DEFINITIONS:

- Definitions from Annexure-II should be included in "The Broadcasting (Grant of Service Authorisations) Rules."
- Definitions from Annexure-III should be included in "The Broadcasting (Television Channel Broadcasting, Television Channel Distribution, and Radio Broadcasting) Services Rules."

SCOPE OF SERVICE AND SERVICE AREA:

- MIB should consider introducing:
  - "Ground-based Broadcasting of a Television Channel."
  - "Low Power Small Range Radio Service."
- The Scope of service and service area are located in Annexure II.

- टेलीविजन चैनल प्रसारण सेवायें (समाचार एजेंसियों, टेलीपोर्ट और अपलिंकिंग सहित।)
- टलीविजन चैनल वितरण सेवायें (डीटीएच, एचआईटीएस, आई पीटीवी)
- रेडियो प्रसारण सेवायें (टेरस्ट्रियल, सामुदायिक, कम शक्ति)

- आईपीटीवी सेवाओं के लिए अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है और केबल टेलीविजन अधिनियम के तहत पंजीकृत एमएसओ स्व–घोषणा के साथ आईपीटीवी प्रदान कर सकते हैं।

एमएसओ और एलसीओ विनियमन

- एमआईवी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) को दूरसंचार अधिनियम **2023** के तहत लाने पर विचार कर सकता है, जबकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम **1995** के तहत सामग्री विनियमन को बनाये रख सकता है।

फास्ट चैनल वितरण

- टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं के तहत फास्ट चैनल वितरण के लिए एक अलग प्राधिकरण पर विचार किया जा सकता है।

व्यापार करने में आसानी पर ट्राई की सिफारिशें

- एमआईवी को ट्राई की 'दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी' की सिफारिशों पर निर्णय लेने में तेजी लानी चाहिये।

परिभाषायें

- अनुलग्नक II से परिभाषायें, प्रसारण (सेवा प्राधिकरण प्रदान करना) नियम' में शामिल की जानी चाहिए।
- अनुलग्नक III की परिभाषाओं को, प्रसारण (टेलीविजन चैनल प्रसारण, टेलीविजन चैनल वितरण और रेडियो प्रसारण) सेवा नियम' में शामिल की जानी चाहिए।

सेवा का दायरा और सेवा क्षेत्र

- एमआईवी को निम्नलिखित की शुरूआत करने पर विचार किया जाना चहिएः
  - टेलीविजन चैनल का ग्राउंड आधारित प्रसारण।
  - कम पावर वाली छोटी रेंज की रेडियो सेवा
- सेवा का दायरा और सेवा क्षेत्र अनुलग्नक II में स्थित है।

MIGRATION OF EXISTING SERVICE PROVIDERS:

- Migration to the new authorization framework should be voluntary until existing licenses/ permissions expire.
- A simplified application process should be established.
- Eligibility conditions for new applicants should apply to migrating entities.
- The new authorization's validity begins on the effective migration date.
- No processing fee should be required for migration.
- Differential entry fees will not be charged for broadcasting migration.
- Authorized entities must provide required Bank Guarantees, Security Deposits, and fees.
- Spectrum assignments will be governed by Sections 4(8) and 4(9) of the Telecommunications Act, 2023.
- New rules apply after migration, but past liabilities remain.
- Detailed migration terms are in Annexure-II.
- The terms and conditions in Annexure-II should be notified as "The Broadcasting (Grant of Service Authorisations) Rules."

EQUITY HOLDING AND MANAGEMENT CONTROL:

- Cross-holding restrictions for DTH and HITS should be extended to IPTV.
- These restrictions may be extended to MSOs and other Distribution Service Providers.
- Cross-holding restrictions should be included for Television Channel Broadcasting authorizations.
- The "Common Terms and Conditions" in Part-I of Annexure-III should be adopted for all broadcasting services.
- Contravention of Rules will be governed by Chapter VIII of the Telecommunications Act, 2023.
- Violations of these codes will be governed by the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

मौजूदा सेवा प्रदाताओं का माइग्रेशन

- नये प्राधिकरण ढ़ांचे में माइग्रेशन तब तक स्वैच्छिक होना चाहिए जब तक कि मौजूदा लाइसेंस/अनुमति समाप्त न हो जाये।
- एक सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए।
- नये आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें माइग्रेट करने वाली संस्थाओं पर लागू होनी चाहिए।
- नये प्राधिकरण की वैधता प्रभावी माइग्रेशन तिथि से शुरू होनी चाहिए।
- माइग्रेशन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जानी चाहिए।
- प्रसारण माइग्रेशन के लिए अलग–अलग प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- अधिकृत संस्थाओं को आवश्यक बैंक गारंटी, सुरक्षा जमा और शुल्क प्रदान करना होगा।
- स्पेक्ट्रम असाइनमेंट दूरसंचार अधिनियम **2023** की धारा **4 (8)** और **4 (9)** द्वारा शासित होंगे।
- माइग्रेशन के बाद नये नियम लागू होते हैं, लेकिन पिछली देनदारियां बनी रहती हैं।
- विस्तृत माइग्रेशन शर्तें अनुलग्नक II में है।
- अनुलग्नक II में दिये गये नियमों और शर्तों को 'प्रसारण (सेवा प्राधिकरण प्रदान करना) नियम' के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।

इक्विटी होल्डिंग और प्रबंध नियंत्रण

- डीटीएच और हिट्स के लिए क्रॉस होल्डिंग प्रतिबंधों को आई पीटीवी तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- ये प्रतिबंध एमएसओ और अन्य वितरण सेवा प्रदाताओं तक बढ़ाये जा सकते हैं।
- टेलीविजन चैनल प्रसारण प्राधिकरणों के लिए क्रॉस होल्डिंग प्रतिबंध शामिल किये जाने चाहिए।
- अनुलग्नक III के भाग–I में दिये गये 'सामन्य नियम और शर्तें' सभी प्रसारण सेवाओं के लिए अपनायी जानी चाहिए।
- नियमों का उल्लंघन दूरसंचार अधिनियम **2023** के अध्याय VIII द्वारा शासित होगा।
- इन संहिता का उल्लंघन केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम **1995** द्वारा शासित होगी।

HARMONIZATION OF TELEVISION CHANNEL BROADCASTING SERVICES:

- Financial conditions (Processing Fee, Net worth, Authorization Fee, Security Deposit, Performance Bank Guarantee) should be harmonized:
  - Fees and guarantees for "Uplinking/Downlinking of a Television Channel" should remain at current levels from the 2022 guidelines.
  - Fees and guarantees for "Ground-based Broadcasting of a Television Channel" should follow the 2025 recommendations for ground-based broadcasters.
  - Fees and guarantees for "News Agency for Television Channel(s)," "Teleport/Teleport Hub," and "Uplinking of Live event/news/footage by Foreign Channel/News Agency" should remain at current 2022 guideline levels.
- Detailed provisions for Validity period, Processing Fee, Authorization Fee, Performance Bank Guarantee, and Security Deposit are in Schedule-II of Annexure-II and should be included in "The Broadcasting (Grant of Service Authorisations) Rules."
- Renewal provisions from Part-I of Annexure-III should be included in "The Broadcasting (Television Channel Broadcasting, Television Channel Distribution, and Radio Broadcasting) Services Rules."
- The "Specific Terms and Conditions" in Section 1 of Part-II of Annexure-III should be adopted for "Television Channel Broadcasting Services" in the relevant Rules.

HARMONIZATION AMONG TELEVISION CHANNEL DISTRIBUTION SERVICES:

- Fees and charges for DTH and HITS services should be harmonized:
  - Validity: 20 years, renewable for 10-year periods.
  - Processing/Renewal Fee: Rs. 10,000.

टेलीविजन चैनल प्रसारण सेवाओं का सामंजस्य

- वित्तीय स्थितियों (प्रोसेसिंग शुल्क, नेटवर्थ, प्राधिकरण शुल्क, सुरक्षा जमा, प्रदर्शन बैंक गारंटी) को सुसंगत बनाया जाना चाहिए।
- टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए शुल्क और गारंटी **2022** के दिशा-निर्देशों के मौजूदा स्तर पर होनी चाहिए।
- टेलीविजन चैनलों के ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग के लिए फीस और गारंटी ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स के लिए **2025** की सिफारिशों का पालन करना चाहिए।
- टेलीविजन चैनलों के लिए समाचार एजेंसी, 'टेलीपोर्ट/टेलीपोर्ट हब, और 'विदेशी चैनल/समाचार एजेंसी द्वारा लाइव इवेंट/समाचार/फुटेज की अपलिंकिंग' के लिए शुल्क और गारंटी वर्तमान **2022** के दिशा निर्देश स्तरों पर बनी रहनी चाहिए।
- वैधता अवधि, प्रोसेसिंग शुल्क, प्राधिकरण शुल्क, प्रदर्शन बैंक गारंटी और सुरक्षा जमा के लिए विस्तृत प्रावधान अनुलग्नक II की अनुसूची II में हैं और इन्हें प्रसारण (सेवा प्राधिकरणप्रदान करना) नियम' में शामिल किया जाना चाहिए।
- अनुलग्नक III के भाग I से नवीकरण प्रावधानों को प्रसारण (टेलीविजन चैनल प्रसारण, टेलीविजन चैनल वितरण और रेडियो प्रसारण) सेवा नियमों में शामिल किया जाना चाहिए।
- अनुबंध III के भाग II की धारा I में वर्णित 'विशिष्ट नियम व शर्ते '' को प्रासंगिक नियमों में 'टेलीविजन चैनल प्रसारण सेवाओं' के लिए अपनाया जाना चाहिए।

टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं का सामंजस्य

- डीटीएच और एचआईटीएस सेवाओं के लिए शुल्क और प्रभारों में सामंजस्य होना चाहिएः
  - वैधताः **20** वर्ष, **10** वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण योग्य।
  - प्रोसेसिंग/नवीनीकरण शुल्क ः **10,000** रु।

- Minimum Net worth: Rs. 10 crore.
- Entry Fee: Rs. 10 crore (non-refundable).
- Authorization Fee: DTH as per TRAI's 2023 recommendations; HITS remains "NIL."
- Bank Guarantee: DTH as per TRAI's 2023 recommendations; HITS at Rs. 5 crore for the authorization's validity.
- Roll out Obligations: One year from SACFA clearance, uniform for DTH and HITS.
- The roll out obligation details are located in Schedule-III of Annexure-III.

VERTICALLY INTEGRATED ENTITIES: RESERVING OPERATIONAL CHANNEL CAPACITY

- The 15% channel capacity reservation for vertically integrated broadcasters should be extended to HITS and IPTV services.
- The Central Government may extend this restriction to MSOs and other distribution service providers.
- The Central Government may review the 15% cap based on market conditions or seek TRAI recommendations.

INFRASTRUCTURE SHARING:

- Voluntary infrastructure sharing should be allowed among broadcasting, telecom, and infrastructure providers.

INTEROPERABILITY OF SET TOP BOXES (STB):

- Authorized "Television Channel Distribution Services" entities should adopt interoperable STBs.
- TEC should develop standards for interoperable STBs and television sets with inbuilt STB functionality.

REMOVAL OF NET WORTH REQUIREMENTS FOR INTERNET SERVICES PROVIDING IPTV:

- The Rs. 100 crore net worth requirement for Internet Service Providers (ISPs) providing IPTV should be removed.
- The regulation should be aligned with the general internet service provider authorization.
- The process for ISPs and MSO's to provide IPTV services is detailed in the text.
- The "Specific Terms and Conditions" in Section 2 of Part-II of Annexure-III should be adopted for "Television Channel Distribution Services" in the relevant Rules. ■

- न्यूनतम नेटवर्थ **10** करोड़ रुपये।
- प्रवेश शुल्क ः **10,000** रु (वापसी योग्य नहीं)।
- प्राधिकरण शुल्क ः ट्राई की **2023** की सिफारिशों के अनुसार डीटीएच, हिट्स 'शून्य' रहेगा।
- बैंक गारंटी ः डीटीएच पर ट्राई की **2023** की सिफारिशों के अनुसार, प्राधिकरण की वैधता के लिए हिट्स की सीमा **5** करोड़ रुपये है।
- रॉल आउट दायित्व ः एसएसीएफए मंजूरी से एक वर्ष, डीटीएच और हिट्स के लिए समान है।
- रॉल आउट दायित्व विवरण अनुलग्नक III की अनुसूची III में स्थित है।

वर्टिकली एकीकृत संस्थायें, परिचालन चैनल क्षमता आरक्षित करना

- वर्टिकली रूप से एकीकृत प्रसारकों के लिए **15%** चैनल क्षमता आरक्षण को हिट्स और आईपीटीवी सेवाओं तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- केंद्र सरकार इस प्रतिबंध को एमएसओ और अन्य वितरण सेवा प्रदाताओं तक बढ़ा सकती है।
- केंद्र सरकार बाजार की स्थितियों के आधार पर **15%** की सीमा की समीक्षा कर सकती है या ट्राई की सिफारिशें मांग सकती हैं।

बुनियादी ढ़ांचे को साझा करना

- प्रसारण, दूरसंचार और बुनियादी ढ़ांचे प्रदाताओं के बीच स्वैच्छिक बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सेट टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी

- अधिकृत 'टेलीविजन चैनल वितरण सेवा' संस्थाओं को इंटरऑपरेबिलिटी एसटीवी अपनाना चाहिए।
- टीईसी को इनबिल्ट एसटीवी कार्यक्षमता के साथ इंटर ऑपरेबल एसटीवी और टेलीविजन सेट के लिए मानक विकसित करना चाहिए।

आईपीटीवी प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवाओं के लिए नेटवर्थ आवश्यकताओं को हटाना

- आईपीटीवी प्रदान करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई एसपी) के लिए **100** करोड़ रुपये की निवल संपत्ति की आवश्यकताओं को समाप्त किया जाना चाहिए।
- विनियमन को सामान्य इंटरनेट सेवा प्रदाता प्राधिकरण के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।
- आईएसपी और एमएसओ द्वारा आईपीटीवी सेवायें प्रदान करने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण टेक्स्ट में दिया गया है।
- अनुबंध के भाग– की धारा–**2** में दिये गये 'विशिष्ट नियम व शर्तें' को प्रासंगिक नियमों में 'टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं' के लिए अपनाया जाना चाहिए। ■